

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या: -41/2019/1329/संक-2-पांच-2019-1(4)/2017

तखनऊ :: दिनांक: 25 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा नशोधित (सहगु सशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700 पुनरीधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	नाम
1.	7270	डॉ0 नरेश सिंह तामर
2.	7603	डॉ0 रचना भटनागर
3.	7690	डॉ0 शोभना दुवे
4.	7729	क1 डॉ0 राजेन्द्र कुमार
5.	7913	डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह
6.	8183	क डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह
7.	8200	डॉ0 रामेन्द्र प्रताप
8.	8233	डॉ0 मोहित कुमार जैन
9.	8263	डॉ0 संजय कुमार तिवारी
10.	8938	डॉ0 अल्पना रानी गुप्ता
11.	9049	डॉ0 घनश्याम किशोर
12.	9117	डॉ0 दिलीप सिंह
13.	9148	डॉ0 अनिल कुमार पंकज
14.	9231	डॉ0 नीना उपाध्याय
15.	9372	डॉ0 महेश कुमार बल्लभ
16.	9379	डॉ0 त्वदेश गुप्ता
17.	9403	क डॉ0 सोमपाल सिंह
18.	9418	डॉ0 महेन्द्र कुमार चौधरी
19.	9438	डॉ0 पवन कुमार अग्रवाल
20.	9457	क डॉ0 अरूण कुमार सचान
21.	9467	डॉ0 अनिल कुमार
22.	9547	डॉ0 सुनील कम्बोज
23.	9608	क डॉ0 धर्मवीर सिंह
24.	9669	डॉ0 राजीव सिंह

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाथिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25.	9705		डॉ० नरेश अग्रवाल
26.	9713	क	डॉ० नवीन चन्द्र
27.	9745		डॉ० मोहन चक्रवर्ती
28.	9796		डॉ० विजय कुमार मिह
29.	9812		डॉ० अनिल कुमार रस्तोगी
30.	9837	क	डॉ० गुलशन राय
31.	9861		डॉ० राकेश कुमार
32.	9864	क	डॉ० राजीव गुप्ता
33.	9915		डॉ० रासबिहारी सरन
34.	9924		डॉ० राजीव निगम
35.	9926		डॉ० जयनाथ सिंह
36.	9944	क1	डॉ० अनवर सज्जाद
37.	9965	क	डॉ० राजेन्द्र कुमार सैनी
38.	9966		डॉ० बाल चन्द्र
39.	9986		डॉ० रामशिष्य राम
40.	9988		डॉ० महेन्द्र कुमार गुप्ता
41.	10012	क	डॉ० देवी लाल
42.	10047		डॉ० श्रीकृष्ण जौहरी
43.	10158		डॉ० सुरजीत सिंह
44.	10163		डॉ० रमेश चन्द्र
45.	10168	क	डॉ० राम अवतार
46.	10169	क	डॉ० महेश चन्द्र
47.	10173		डॉ० अनिल राव
48.	10182		डॉ० हरी दत्त नेमी
49.	10189	क	डॉ० श्रीराम प्रेमी
50.	10196	ख	डॉ० अशोक कुमार
51.	10198		डॉ० राम प्रवेश
52.	10199		डॉ० अशोक कुमार
53.	10200		डॉ० आनन्द स्वरूप
54.	10221		डॉ० कुलदीप कुमार आदिम
55.	10226		डॉ० संजय कुमार
56.	10242	क1	डॉ० उमेश कुमार
57.	10249		डॉ० श्रीकांत वाजपेयी
58.	10251		डॉ० रविकांत शुक्ला
59.	10263	क1	डॉ० राकेश सिंह
60.	10280	क	डॉ० दिनेश कुमार सिंह
61.	10284		डॉ० माया देवी
62.	10303	ख	डॉ० अवधेश कुमार जाटव
63.	10306	क	डॉ० अशोक कुमार गरौठिया

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

64.	10308		डॉ० गोपाल सिंह
65.	10312		डॉ० श्रीराम
66.	10325		डॉ० नीता अग्रवाल
67.	10364		डॉ० कुसुम लता सागर
68.	10375		डॉ० सुरेश कुमार
69.	10375	ग	डॉ० विश्व कान्त ओझा
70.	10380		डॉ० इनायत उल्ला खान
71.	10420		डॉ० अलका गुप्ता
72.	10441		डॉ० मुरली भास्कर
73.	10479		डॉ० चंदना अग्रवाल
74.	10481		डॉ० गीमा गुप्ता
75.	10488		डॉ० याशमीन उदैद
76.	10521	क	डॉ० जसवीर सिंह
77.	10525		डॉ० राकेश कुमार
78.	10543		डॉ० कृष्ण कुमार त्यागी
79.	10553		डॉ० कमाल अशरफ
80.	10560		डॉ० वृजेन्द्र नाथ शुक्ला
81.	10587		डॉ० अभय कुमार सिंह
82.	10605		डॉ० अब्दुल अजीज
83.	10609		डॉ० राकेश कुमार
84.	10613		डॉ० अशोक कुमार
85.	10663		डॉ० राजेश कुमार वर्मा
86.	10681	क	डॉ० प्रेम कुमार पाण्डेय
87.	10718		डॉ० स्वामी नाथ यादव
88.	10729		डॉ० प्रदीप कुमार
89.	10760		डॉ० आबिद सईद
90.	10762	क	डॉ० प्रोमिला निरंजन
91.	10765		डॉ० मनोज कुमार खरे
92.	10771		डॉ० लेख राम
93.	10779		डॉ० कमलेश चन्द्र
94.	10799		डॉ० आनन्द कुमार
95.	10811	क	डॉ० श्री प्रकाश सिंह
96.	10817		डॉ० अरविन्द कुमार
97.	10846	क1	डॉ० विनोद कुमार वर्मा
98.	10867		डॉ० रमाकांत चौरीहा
99.	10880	क	डॉ० संजय सक्सेना
100.	10880	क1	डॉ० कृष्ण कुमार पाण्डेय
101.	10885		डॉ० आशुतोष अग्रवाल
102.	10905	क	डॉ० अनिल कुमार त्रिपाठी

- 1- यह शासनदेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनदेश की प्रमाणांकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

103.	10908		डॉ० विकास कुमार
104.	10915		डॉ० अवधेन्द्र प्रताप सिंह
105.	10924	क	डॉ० अजय कुमार
106.	10935	क	डॉ० मोहन झा
107.	10936		डॉ० ससिदानन्द उपाध्याय
108.	10949		डॉ० नजेश्वर यादव
109.	10953	क	डॉ० रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव
110.	10965		डॉ० रजत सिंह
111.	10969		डॉ० विनोद कुमार गुप्ता
112.	10984		डॉ० सुरेन्द्र प्रकाश जौहरी
113.	11009		डॉ० श्रीकांत नाथ त्रिपाठी
114.	11018	क	डॉ० महाराज सिंह ठाकुर
115.	11057	क	डॉ० राज कुमार सिंह
116.	11069		डॉ० वीरेन्द्र कुमार
117.	11069	क	डॉ० सुबोध प्रकाश
118.	11075		डॉ० राम खिलावन
119.	11075	क	डॉ० विनोद कुमार
120.	11080	क	डॉ० अवनीश कुमार सिंह
121.	11089	क	डॉ० दिनेश कुमार
122.	11095		डॉ० उमा शंकर

2- उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव।

संख्या-41/2019/1329(1)/सेक-2-पांच-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (जिसमें आरोप पत्र निर्गत किया गया हो), निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> में सत्यापित की जा सकती है।

- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।
- 6- सम्स्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल में तत्काल चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (जिसमें आरोग्य पत्र निर्गत किया गया हो), निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ने तथा शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराए।
- 7- सम्स्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- सम्स्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/मण्डलीय/अन्य चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 9- सहायित नगरानगर अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 10- सहायित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 11- सहायित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 12- सम्स्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- सम्स्त सहायित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान/आश्वासन सहायित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 14- गार्ड फूक / चिकित्सा अनुभाग-3

आज्ञा में,
ह०/-
(ज०एन० यादव)
अनु सचिव।


कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्र सं०-गोपन/प्र०/ले०-3 से 4/2019/ 766-33 दिनांक 30/6/2019

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-41/2019 /1329/सेक-2-पॉच-2019-1(4)/2017 दिनांक 25.04.2019 द्वारा निर्गत 122 चिकित्साधिकारियों की लेवल-3 से लेवल-4 के पद पर प्रोन्नति सूची के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक, विभागीय कार्यवाही, सतर्कता जाँच, अभियोजन स्वीकृति, निलम्बन अथवा अनाधिकृत अनुपस्थित आदि विद्यमान हो तो उक्त स्थिति से विभाग को सूचित कर सम्बन्धित चिकित्सकों को छोड़ते हुये शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 एवं महानिदेशालय के नियुक्ति अनुभाग-1 को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें-

1. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-2
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. महानिदेशक, उत्तरांचल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चन्दर नगर, देहरादून।
5. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।

6. वित्त-निर्मातृ स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

7. निदेशक, रुरल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा, उ०प्र०।
8. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, इन्सटीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड, लखनऊ।
10. निदेशक, स्टेट टी०वी० डिमॉन्स्ट्रेशन सेन्टर, आगरा।
11. निदेशक, मेडिकल यूनिवर्सिटी एण्ड एसोसिएट हॉस्पिटल ग्रेटर नोण्डा।
12. मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, उ०प्र०।
13. प्रबंध निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी०, उ०प्र०।
14. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०/उत्तरांचल।
15. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज (एलोपैथी) उत्तर प्रदेश।
16. प्रधानाचार्य, के०ई०एच० चिकित्सालय (आयुर्वेदिक), टुडियागंज, लखनऊ।
17. समस्त प्रधानाचार्य, संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र उ०प्र०।
18. महानिरीक्षक, मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०।
19. समस्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
20. अपर निदेशक (प्रशासन), नियुक्ति अनुभाग-1, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
21. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल।
22. अपर निदेशक, मलेरिया, जवाहर भवन, लखनऊ एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज लखनऊ।
23. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल।
24. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल।
25. समस्त कारागार अधीक्षक, उ०प्र०।
26. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ०प्र०।
27. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद उ०प्र०।
28. संयुक्त निदेशक/प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-41/2019/1329/सेक-2-पॉच-2019-1(4)/2017 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा पी०एम०एच०एस० संवर्ग में कार्यरत लेवल-3 के चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड पर की गयी है, के सम्बन्ध में पत्र में उल्लिखित समस्त परिधिगत चिकित्साधिकारियों के ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए प्राप्ति रसीद सूचना गोपन अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



(ए०के० गोतम)

अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)